प्रेस नोट
दिनांक 08.06.2026

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा बकरी चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 अदद चोरी की बकरी, घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियों गाडी व 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी श्री अभिषेक दवाच्यॉ के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो वाहनों से बकरी चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर अभियुक्तों–01. आरिफ पुत्र सलीम, 02.नरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा, 03. मो० इरफान उर्फ भूरे पुत्र लोधे को दत्तनगर मोड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 09 अदद चोरी की बकरी/बकरा, घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियों गाड़ी व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा में विगत कुछ दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में बकरी चोरी की घटनाएं प्रकाश में आयी थीं, उक्त घटनाओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटनाओं के शीघ्र एवं सफल अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में बकरी चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा क्षेत्र में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी की गई तथा खुफिया सूचनाओं का प्रभावी संकलन किया गया। पुलिस टीमों की सक्रिय कार्यवाही के फलस्वरूप बकरी चोरी करने वाले एक अंतर्जनपदीय संगठित गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर अभियुक्तों– 01. आरिफ पुत्र सलीम, 02.नरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा, 03. मो० इरफान उर्फ भूरे पुत्र लोधे को दत्तनगर मोड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 09 अदद चोरी की बकरी/बकरा, घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियों गाड़ी व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ पुत्र सलीम ने बताया कि वह अपने साथी सलमान, रिजवान, नरेन्द्र कुमार मिश्रा एवं मो0 इरफान उर्फ भूरे के साथ मिलकर जनपद गोण्डा, बहराइच एवं आसपास के क्षेत्रों में बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। गिरोह के सदस्य पहले गांवों में घूमकर ऐसे घरों की रेकी करते हैं जहां बकरियां रखी जाती हैं, तत्पश्चात रात्रि में वाहन से पहुंचकर ताला तोड़कर बकरियों की चोरी कर लेते हैं तथा उन्हें अन्य जनपदों की मंडियों में बेच देते हैं। अभियुक्त आरिफ ने बताया कि दिनांक 04/05.06.2026 की रात्रि में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम खरथरी डैनियागंज, थाना करनैलगंज क्षेत्र से 05 बकरी एवं 04 बकरे चोरी किये थे। चोरी के पशुओं को अपने गांव में छिपाकर रखा गया था तथा दिनांक 08.06.2026 को उन्हें स्कॉर्पियो वाहन से बहराइच ले जाकर बेचने की योजना थी। पुलिस से बचने हेतु वह आगे–आगे मोटरसाइकिल से चलकर रास्ते की रेकी कर रहा था। पूछताछ के दौरान आरिफ ने यह भी स्वीकार किया कि लगभग दो माह पूर्व अपने साथियों के साथ मिलकर थाना करनैलगंज क्षेत्र के विभिन्न गांवों से 10 बकरियां चोरी कर उन्हें फतेहपुर (बाराबंकी) मंडी में ₹50,000/– में बेच दिया था, जिसमें उसके हिस्से के रुपये में से बरामद ₹1250/– शेष बचे थे। गिरफ्तार अभियुक्त नरेन्द्र कुमार मिश्रा एवं मो0 इरफान उर्फ भूरे ने भी पूछताछ में उक्त घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि वे अपने साथियों के साथ मिलकर बकरी चोरी कर उन्हें बाजारों

में बेचते हैं तथा प्राप्त धनराशि से अपना खर्च चलाते हैं। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई 09 अदद बकरी/बकरे, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन, बजाज पल्सर मोटरसाइकिल एवं ₹1250/— नगद बरामद हुआ है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त—</u>

01. आरिफ पुत्र सलीम, निवासी ग्राम उज्जैनी जमाल, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
02. नरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा, निवासी ग्राम जरवलिया, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
03. मो० इरफान उर्फ भूरे पुत्र लोधे, निवासी ग्राम भगवानपुर, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।

<u>अनावरित अभियोग—</u>

01. मु0अ0सं0 0332/2026 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस वृद्धि धारा 317(2), 317(4) बीएनएस एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 0192/2026 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी—</u>

01. 09 अदद चोरी की बकरी।
02. 01 अदद घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों गाड़ी।
03. 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल।

<u>अभियुक्त आरिफ का आपराधिक इतिहास—</u>

01. मु0अ0सं0—247/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—343/20, धारा 379,511 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0—493/23, धारा 379,411 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0—192/26, धारा 305(ए),331(4) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0—116/26, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0—118/26, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>अभियुक्त नरेन्द्र का आपराधिक इतिहास—</u>

01. मु0अ0सं0—326/23, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—166/21, धारा 279,304ए,337,338 भादवि व 184 एम0वी0 एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम—</u>

01. उ0नि0 विवेक कुमार।
02. उ0नि0 अखिलेश मौर्य।
03. उ0नि0 मृत्युन्जय सिंह।
04. उ0नि0 सुमित कुमार सिंह।
05. हे0का0 सतीश सिंह।
06. हे0का0 बंका सिंह।
07. हे0का0 कमलेश वर्मा।
08. हे0का0 सर्वेश प्रसाद।
09. का0 धीरेन्द्र कुमार।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 08.06.2026</u>

<u>जिलाधिकारी गोण्डा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मनकापुर में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया–</u>

आज दिनांक 08.06.2026 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में मनकापुर तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत–प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा–निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना–पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

<u>इस अवसर पर पुलिस एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 08.06.2026</u>

<u>आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का किया गया निरीक्षण–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 08.06.2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा–2026 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया, चेकिंग/फ्रिस्किंग व्यवस्था, परीक्षा कक्षों की व्यवस्थाओं तथा अन्य आवश्यक प्रबंधों का जायजा लिया गया। इस दौरान परीक्षा केन्द्रों पर स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की कार्यशीलता भी चेक की गई, जिससे परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं केन्द्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाए तथा अभ्यर्थियों की नियमानुसार सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए। आज दिनांक 08.06.2026 को आयोजित परीक्षा की प्रथम पाली में कुल 6024 अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना था, जिसमें से 4713 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1311 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार द्वितीय पाली में भी कुल 6024 अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना था, जिसमें से 4782 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1242 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जनपद के सभी परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के आसपास सतत निगरानी रखी गई तथा भ्रमणशील पुलिस टीमें लगातार गश्त करती रहीं, जिससे कानून–व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी रही। जनपद प्रशासन एवं पुलिस विभाग के समन्वय से परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया गया।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 08.06.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा रंगदारी वसूली घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 817/2025 धारा 191(2), 191(3), 126(2), 308(4), 109, 115(2), 351(3) बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्त– हरशु कश्यप उर्फ शौर्य पुत्र श्यामू कश्यप को रेलवे स्टेशन गोण्डा, गेट नम्बर–02 के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी राघवेन्द्र सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्राम रामपुर खरहंटा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि कप्तान सिंह पुत्र टेकई सिंह निवासी ग्राम सेहरिया थाना वजीरगंज तथा उसके साथियों द्वारा उससे पूर्व में डरा–धमकाकर ₹50,000 की रंगदारी वसूली गई थी तथा लगातार फोन कर गुण्डा टैक्स की मांग की जाती थी। वादी के अनुसार लगभग एक माह पूर्व भी अभियुक्तगण द्वारा ₹1,00,000 की अतिरिक्त रंगदारी की मांग की गई थी। दिनांक 17.10.2025 को उपरहितन पुरवा के पास अभियुक्त कप्तान सिंह एवं उसके साथियों ने वादी को घेर लिया तथा जान से मारने की नीयत से उस पर फायर किया। वादी के बचाव करने पर गोली उसके सिर के पास से निकल गई। शोर मचाने पर राहगीरों के आने से अभियुक्तगण मौके से विभिन्न मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 08.06.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्त हरशु कश्यप उर्फ शौर्य पुत्र श्यामू कश्यप को रेलवे स्टेशन गोण्डा, गेट नम्बर–02 के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. हरशु कश्यप उर्फ शौर्य पुत्र श्यामू कश्यप निवासी छेदीपुरवा जानकीनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 817/2025 धारा 191(2), 191(3), 126(2), 308(4), 109, 115(2), 351(3) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अजय कुमार सिंह।
02. उ0नि0 अंकित सिंह।
03. हे0का0 महेश कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा